संख्या-26/2024/590/एक-1-2024-

1-1099/233/2023

प्रेषक,

राम रतन,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

शाहजहांपुर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 2024

विषयः- टी०क्यू०एन० इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० द्वारा विहित सीमा 5.0586हे० से अधिक क्रय की गयी भूमि का उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-89(3) के अन्तर्गत विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-117/डी०एल०आर०सी०/2023 दिनांक-02.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टी०क्यू०एन० इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० नई दिल्ली द्वारा ग्राम मलिका व करनापुर, तहसील पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में एथेनाल डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586हे० से अधिक क्रय की गयी 1.4264हे० भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल टी०क्यू०एन० इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, नई दिल्ली द्वारा ग्राम मलिका व करनापुर, तहसील पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में एथेनाल डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गयी 1.4264हे० भूमि के विनियमितीकरण निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था द्वारा ग्राम मलिका व करनापुर, तहसील पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में विहित सीमा (5.0586हे०) से 1.4264हे० अधिक क्रय की गयी भूमि को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर औसत मूल्य रूपये 4279200/- होता है, जिसका 10 प्रतिशत रूपया 427920/- (रू० चार लाख सत्ताइस हजार नौ सौ बीस) जुर्माने के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) यदि आवेदक, उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग एथेनाल डिस्टिलरी उद्योग के संचालन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से तो क्रय नहीं की गयी है।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

(4) निदेशक, टी०क्यू०एन० इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, हाऊस नं० ए-604, गायत्री अपार्टमेंट, प्लॉट नं०-9 सेक्टर-9 द्वारका, दिल्ली-110075

(5) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।